डॉ. रमन सिंह
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भाजपा | पूर्व मुख्यमंत्री, छ.ग.

0771-4281001
0771-4281002
+917470367805

Ex.CM.NO-703, Date-07/10/2023

माननीय प्रधान मंत्री जी,

विषयः- **छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग भर्ती की चयन प्रक्रिया एवं मूल्यांकन में हुई धांधली की CBI जाँच का आग्रह करने बाबत**

छत्तीसगढ़ की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा लोक सेवा आयोग (CGPSC) में प्रतिवर्ष क़रीब डेढ़ लाख युवा प्रतिभागी शामिल होते हैं, इस परीक्षा में प्रदेश के प्रमुख पदों पर भर्ती की जाती है जिसमें अधिकांश मध्यम वर्गीय परिवारों के अभ्यर्थी भाग लेते हैं। इस परीक्षा में पहली बार छत्तीसगढ़ में पारदर्शिता को समाप्त कर एक बड़े घोटाले से भाई-भतिजावाद शामिल किया गया है, जिससे प्रदेश के युवाओं में भारी निराशा और आक्रोश है।

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2021 के परिणाम में शीर्ष 18 नाम, कांग्रेस नेताओं, सीजीपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष तथा बड़े अधिकारियों के बच्चों और रिश्तेदारों के हैं तथा उच्च पदों पर उनका चयन हुआ है।

इसके विरुद्ध युवाओं में निराशा और आक्रोश को देखते हुए पूर्व गृह मंत्री एवं वर्तमान में रामपुर विधायक श्री ननकीराम कंवर जी ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जिसे स्वीकार करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को फटकार लगायी और चयनित कुल 18 अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक लगाने को कहा, चूंकि उनमें से 5 की नियुक्ति हो चुकी थी अतः वर्तमान में कुल 13 की नियुक्ति पर रोक लगी है।

इसके साथ ही छत्तीसगढ़ लोक सेवा द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2022 के मुख्य परीक्षा के मूल्यांकन तथा साक्षात्कार में भी की गई धांधली उजागर हुई है जिसमें किसी अभ्यर्थी को बिना उत्तर लिखे अंक देना, किसी को कम अंक आने पर भी चयनित तथा किसी को अधिक अंक आने पर भी बाहर करना आदि शामिल है।

प्रदेश के युवाओं को राज्य सरकार की जाँच पर भरोसा नहीं है और उनका आरोप है कि राज्य सरकार के संरक्षण में पैसे लेकर सत्ता पक्ष के नेताओं, बड़े अधिकारीयों तथा सीजीपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष के बच्चों और रिश्तेदारों का चयन किया गया है, युवाओं का राज्य सरकार पर विश्वास न होने का एक प्रमुख कारण यह भी है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने यह झूठ कहकर इसकी जाँच नहीं करवाई कि युवाओं ने इसकी शिकायत नहीं की है जबकि प्रदेश के युवाओं ने इसकी लिखित शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी से की थी जिसकी प्रति संलग्न है तथा आन्दोलन भी किया था।

इसके अलावा लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 19/03/2021 को अधिसूचना क्रमांक 2268/पेड/2014/ जारी कर प्रारंभिक परीक्षा में दावा आपत्ति के पश्चात दिए जाने वाले मॉडल आंसर के नियमों में संशोधन(56.13) किया गया जिससे पारदर्शिता में कमी आयी है।

रमन सिंह
ष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भाजपा | पूर्व मुख्यमंत्री, छ.ग.

0771-4281001
0771-4281002
+917470367805

तथा लोक सेवा आयोग द्वारा निविदा सूचना जारी कर दिनांक 5/06/2023 तथा 27/06/2023 को अनुपयोगी प्रश्न पत्र, ओएमआर उत्तरशीट, कोरी उत्तरपुस्तिका एवं अन्य प्रपत्रों को विक्रय किए जाने हेतु टेंडर निकाला गया जिससे लोक सेवा आयोग पर अभ्यर्थियों के दस्तावेजों को नष्ट करने का आरोप लगा जिसके पश्चात् इसके स्पष्टीकरण में लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 13/06/2023 को एक सूचना(258/50/परीक्षा/2020) जारी गई, जिसमें यह बताया गया कि यह टेंडर दस्तावेज को नष्ट करने के लिये नहीं बल्कि पुराने उत्तर पुस्तिका, अनुपयोगी प्रश्नपत्र, कोरी उत्तर पुस्तिका और प्रपत्र एवं लिफ़ाफ़े आदि के विक्रय हेतु जारी किया है।

छत्तीसगढ़ के काबिल युवाओं का भविष्य अंधकार में डूबने से बचाने के लिए आपसे आग्रह है कि सीबीआई द्वारा इस मामले की निष्पक्ष जाँच करवाकर छत्तीसगढ़ के युवाओं को न्याय दिलवाने में सहायता करें। इस मामले से सम्बंधित सभी दस्तावेज संलग्न हैं।

सादर

(डॉ. रमन सिंह)

प्रतिष्ठा में,

माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी
प्रधानमंत्री, भारत सरकार
नई दिल्ली

संलग्न दस्तावेज

निवास कार्यालय: बंगला नं. 100, खनिज नगर, मौलश्री विहार, रायपुर, छत्तीसगढ़

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Order Sheet

WPPIL No. 80 of 2023

Nanki Ram Kanwar **Versus** State of Chhattisgarh & Others

19/09/2023	Mr. Chandresh Shrivastava, learned Additional Advocate General, appearing for the respondents/State prays for and is granted two weeks' time to file return-affidavit. Thereafter, two weeks' time is granted to Mr. Sanjay Kumar Agrawal, learned counsel for the petitioner to file rejoinder-affidavit. List this case thereafter. Sd/- (N.K. Chandravanshi) Judge Sd/- (Ramesh Sinha) Chief Justice

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Brijmohan

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR
Order Sheet

WPPIL No. 81 of 2023

Nanki Ram Kanwar, Member of Legislative Assembly, Rampur Constituency No. 20

Versus

State of Chhattisgarh & Others

19/09/2023	It has been argued by Mr. Sanjay Kumar Agrawal, learned counsel for the petitioner as the candidates at Sl. No. 3 and 4 appeared in the PSC Examination of the year 2020, hence, he intends to delete their names from the said chart at paragraph 8.13 of the petition. List this case tomorrow *i.e.* on 20.09.2023. Mr. Chandresh Shrivastava, learned Additional Advocate General, appearing for respondent No. 1, Mr. Ramakant Mishra, learned Deputy Solicitor General, appearing for respondent No. 2, Mr. Goutam Khetrapal, learned counsel, appearing for respondents No. 3 & 4 and Mr. Vaibhav A. Goverdhan, learned counsel, appearing for respondent No. 5, are present. **Sd/-** **(N.K. Chandravanshi)** **Judge** **Sd/-** **(Ramesh Sinha)** **Chief Justice**

Brijmohan

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Order Sheet

WPPIL No. 81 of 2023

Nanki Ram Kanwar, Member of Legislative Assembly, Rampur Constituency No. 20

Versus

State of Chhattisgarh & Others

20.09.2023	Heard Mr. Sanjay Kumar Agrawal, learned counsel for the petitioner, Mr. Chandresh Shrivastava, learned Additional Advocate General for the State/respondent No. 1, Mr. Ramakant Mishra, learned Deputy Solicitor General for the Union of India/respondent No. 2, Mr. Anand Mohan Tiwari and Mr. Gautam Khetrapal, learned counsel for the respondent No. 3 and 4, Mr. Vaibhav A. Goverdhan, learned counsel for the respondent No. 5. IA No. 2 of 2023 is an application for amendment in the writ petition as well as I.A. No. 4 of 2023 is an application for impleading respondents No. 6 to 20 in the array of the cause title. Learned counsel for the respective respondents have no objection. The applications are allowed. Necessary amendment may be incorporated in the main petition as well as amended petition be filed within a period of 48 hours. Mr. Mateen Siddique, Advocate has put in appearance on behalf of the newly added respondent No. 6. He submits that he would be filing an

application for intervention on behalf of the said respondent during the course of the day.

Mr. Anand Mohan Tiwari, learned counsel for the Chhattisgarh Public Service Commission states that in the impleadment application, the petitioner has given the address of the Chhattisgarh Public Service Commission instead of the residential address of the newly impleaded respondents No. 6 to 20. He submits that he is having the records of those candidates and he shall supply their residential address as available in the office records to learned counsel for the petitioner so that at least notices may be served on the proper address of those newly impleaded respondents.

Mr. Tiwari may supply the address of the newly impleaded respondents No. 6 to 20 to Mr. Agrawal during the course of the day.

Thereafter, notices be issued to the newly impleaded respondents. Process fee, as per rules.

Mr. Chandresh Shrivastava, learned Additional Advocate General submits that in this matter, learned Advocate General, who is out of station today, shall appear and argue the matter and he has instructions to make a statement at the Bar on behalf of the Advocate General that so far as the appointment of the newly impleaded respondents are concerned, they shall not be proceeded ahead with respect to the candidates who have not been issued the appointment order or those candidates who have been issued appointment orders but have not

joined their respective posts till date.

Mr. Shrivastava further submits that the newly impleaded respondents No. 8, 9 and 14 have already joined their respective posts.

In view of the above submission, the appointment of newly added respondents No. 8, 9 and 14 would be subject to final outcome of this petition.

In the meantime, the State/respondent No. 1 as well as CGPSC/ respondents No. 3 and 4 shall verify as to whether the newly added respondents No. 6 to 20 are in any manner related to the persons as has been shown in the schedule given at paragraph 8.13 of the writ petition.

As jointly prayed by learned counsel for the parties, list this case on 05th of October,2023.

Sd/-
(N.K.Chandravanshi)
Judge

Sd/-
(Ramesh Sinha)
Chief Justice

Amit

ओपीएससी भर्ती में फर्जीवाड़े का आरोप, 13 नियुक्तियों पर हाई कोर्ट की रोक

पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर ने जनहित याचिका में 18 चयनित उम्मीदवारों पर की है आपत्ति

नियम तत्कालीन चेयरमैन का नहीं, सरपंच का है बेटा

पीएससी और शासन को कोर्ट ने दिए निर्देश

इन नियुक्तियों को चुनौती देते भाजपा विधायक ननकीराम ने दाखिल की याचिका

[illegible] है।

9. कुनो अभयारण्य की स्थिति एवं विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। [4]

[60 शब्द]

Clarify the location and characteristics of Kuno Sanctuary.

E & D - 2

उत्तर/Ans. ① कुनो अभ्यारण्य मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है।

② यह भारत का सबसे प्रथम अभ्यारण्य है।

③ यहाँ एशियाई शेर का संरक्षण किया जा रहा है।

④ इसे अभ्यारण्य में मुख्यतः एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है।

⑤ कुनो अभ्यारण्य में कुनो नामक प्रजातियाँ निवास करती हैं।

⑥ जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है।

⑦ यहाँ मुख्यतः बाघ, हिरन, एक सिंग वाला गेंडा, नील गाय पाये जाते हैं।

-2

DI-05

7. ताश के 52 पत्तों की एक गड्डी में से यदि कोई भी एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पत्ता एक 'फेस कार्ड' हो? [4]

One card is drawn at random from a pack of 52 cards. What is the probability that the card drawn is a face card?

E & D - 4

-4

उत्तर/Ans. हल $P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{12}{52} = \frac{3}{13}$

$\Rightarrow$ अतः $\frac{3}{13}$ होगी

7. ताश के 52 पत्तों की एक गड्डी में से यदि कोई भी एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पत्ता एक 'फेस कार्ड' हो? [4]

One card is drawn at random from a pack of 52 cards. What is the probability that the card drawn is a face card?

H-4 | E & D-4

उत्तर/Ans. दिया है:- ताश के पत्तों में गड्डी में पत्तों की कुल संख्या = 52

$n(S) = 52$

गड्डी में फेस कार्ड की संख्या $n(E) = 12$

1 फेस कार्ड निकालने की प्रायिकता = $\frac{n(E)}{n(S)} = \frac{12}{52} = \frac{1}{4}$

अतः फेस कार्ड को निकालने की प्रायिकता $\frac{1}{4}$ होगी। उत्तर

(ii) Insert a suitable modal auxiliary :

We __ report the incident to the police.

Ans. [illegible]

(iii) Fill in the blanks changing the nouns given in the brackets into adjectival forms :

(a) It was very __ of him to say that in the class. (fool)

Ans. foolish

(b) Mr. Rao is a very __ person. (irritation)

Ans. irritating

(iv) Use adverbs of manner to complete the following sentences :

(a) They waited __ until 4.00 pm.

Ans. calmly

(b) Akbar ruled __ for many years.

Ans. F Loavely

(ii) Insert a suitable modal auxiliary :

H-0

We __ report the incident to the police.

Ans. We would report the incident to the police

(iii) Fill in the blanks changing the nouns given in the brackets into adjectival forms :

(a) It was very __ of him to say that in the class. (fool)

H-1

Ans. It was very foolish of him to say that in the

(b) Mr. Rao is a very __ person. (irritation)

Ans. Mr. Rao is a very Irritating person.

(iv) Use adverbs of manner to complete the following sentences :

(a) They waited __ until 4.00 pm.

H-0

Ans. They waited [illegible] pm.

(b) Akbar ruled __ for many years.

Ans. Akbar ruled long for many years

[10]

कुछ लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टमों के नाम लिखिए। [1]

Write the names of some popular operating systems. [30 शब्द]

उत्तर
Ans. ऑपरेटिंग सिस्टम :- 1. विंडोज
2. मास्म
3. प्रीम
4. मोबेइल

H-2 E&D-2

15. 1857 की क्रांति में छत्तीसगढ़ में वीर हनुमान सिंह के योगदान का वर्णन कीजिए। [8]

Describe the contribution of Veer Hanumaan Singh in Chhattisgarh in the Revolution of 1857. [100 शब्द]

उत्तर
Ans. वीरनारायण सिंह छ.ग. के प्रथम शहीद कहे जाते हैं, इन्होंने हैहयवंशी सोनाखान घराने को जारी रखा, इनका योगदान निम्न है।

H-5.5 E&D-5.5

① कसडोल क्षेत्र में 1856 में अकाल पड़ा था, जनता भूख से मर रही थी. इन्होंने माखन नामक व्यापारी के गोदाम से अनाज लूटकर जनता में बाँट दिया तथा लोकप्रियता हासिल की।

② माखन के शिकायत पर अंग्रेजों ने उन्हें 24 oct 1856 को गिरफ्तार कर लिया तथा जेल में डाल दिया।

③ 27 अगस्त 1957 को वीर नारायण सिंह जेल में सुरंग बनाकर भाग निकले। तथा अपने क्षेत्र में जाकर अंग्रेज फौजों पर प्रहार करने लगे। अनेक जगहों पर छोटी बड़ी मुठभेड़ हुए।

④ 2 दिसम्बर 1857 को कर्नल स्मिथ ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया।

⑤ 10 दिसम्बर 1857 को इन्हें जयस्तंभ चौक पर मौत की सजा दी गई।

⑥ इन्होंने 1857 की क्रान्ति में राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार किया।

⑦ इनके बलिदान से प्रभावित होकर हनुमान सिंह जैसे नेता आंदोलन में कूद पड़े।

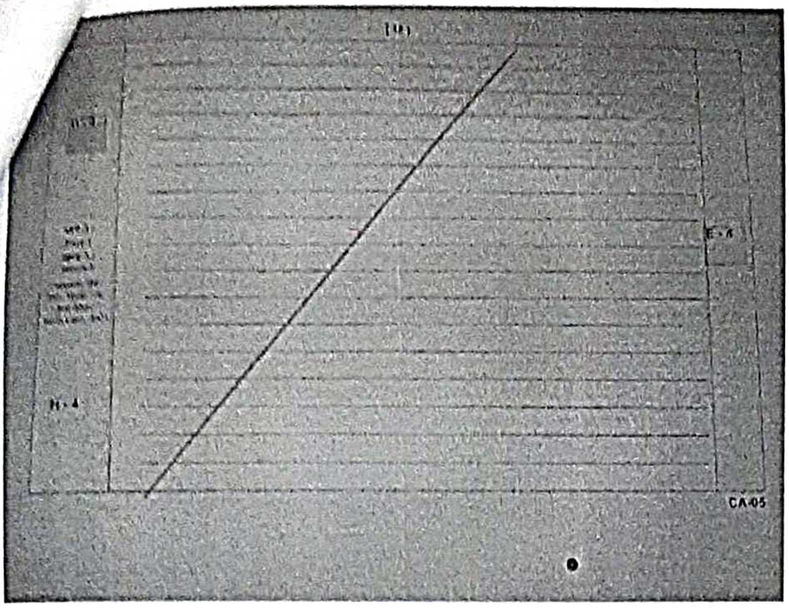

प्रति,

सचिव महोदय / परीक्षा नियंत्रक
छ.ग. लोक सेवा आयोग,
अटल नगर नवा रायपुर

विषय: राज्य सेवा परीक्षा 2022 के साक्षात्कार में नहीं बुलाए जाने बाबत ।

महोदय,

मेरा नाम शिवम कुमार देवांगन, निवासी दुर्ग है मैंने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा - 2022 दी थी । आयोग द्वारा जारी मुख्य परीक्षा की आंसरसीट से मुझे यह ज्ञात हुआ है कि मेरे अंक कुल 771.5 (सात सौ इकहत्तर दशमलव पाँच) है जबकि डिटेल मेरिट लिस्ट के गहन विश्लेषण से यह तथ्य सामने आया है कि OBC से अंतिम साक्षात्कार हेतु चयनित कैंडिडेट के लिखित पेपर में (Main) 719.00 अंक हैं । यह भी ज्ञात हुआ है कि अंतिम रूप से सेलेक्टेड कैंडिडेट जिसका रैंक 136 व प्राप्त पोस्ट सहायक जेल अधीक्षक है के मेंस में अंक 770.50 हैं ।

अतः आपसे निवेदन है कि मामले की जाँच की जाए व प्रार्थी के साथ न्याय हो ।

Shivam
20.09.2023

प्रार्थी
शिवम कुमार देवांगन
अनुक्रमांक . 2228158932
स्थायी निवास - पाटन

संलग्न
1. मुख्य परीक्षा की छायाप्रति (7) (उत्तर पुस्तिका)
2. डिटेल मेरिट लिस्ट
3. मुख्य परीक्षा 2022 का रिजल्ट
4. एडमिट कार्ड (प्रवेश पत्र)
5. मेंस परीक्षा रिजल्ट एवं सेलेक्शन लिस्ट

दो इंटरव्यू तक पहुंच गए, मेंस की परीक्षा में नियमों की अनदेखी

पंद्रह छात्रों की एक ही गलती, पीएससी ने दो को बचाया, 13 पर गिराई गाज

हरिभूमि न्यूज >> रायपुर

हरिभूमि फॉलोअप

राज्य सेवा की परीक्षा को लेकर विवादों में रहने वाले छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की एक और लापरवाही सामने आई है। मेंस की परीक्षा के दौरान पंद्रह छात्रों ने एक ही तरह की गलती कर दी। नियमों की अनदेखी का हवाला देकर अफसरों ने 13 छात्रों को अयोग्य करार दिया, मगर दो को सफल मानते हुए इंटरव्यू के लिए कॉल कर दिया। इतना ही डिसक्वालीफाई परीक्षार्थियों का नाम भी सार्वजनिक कर दिया गया, जिसके खिलाफ छात्र अदालत जाने की तैयारी में हैं।

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग परीक्षा की पारदर्शिता को लेकर कटघरे में खड़ा हो चुका है। इसमें चर्चित लोगों के रिश्तेदारों का चयन प्रमुख है। बुधवार को जारी किए गए आदेश ने नए विवाद को जन्म दे दिया है। इस सूचना में हवाला दिया गया है कि एक सवाल का उत्तर लिखने के दौरान निर्धारित नियमों का पालन किया जाना था। अयोग्य करार दिए गए छात्रों ने इसका पालन नहीं किया। जांचकर्ता द्वारा मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की गई और पीएससी ने उन्हें परीक्षा से अलग कर दिया। इस आदेश के बाद विरोध के स्वर उभरने लगे और यह तथ्य सामने आया कि इसी तरह की गलती दो अन्य लोगों ने की थी, मगर इसे जांचकर्ता ने नजरअंदाज कर दिया और उन्हें निर्धारित नंबर देते हुए इंटरव्यू तक पहुंचा दिया। इसकी शिकायत होने पर मामले की लीपापोती करने 13 छात्रों का रोल नंबर तक जारी कर दिया गया। इस फैसले के खिलाफ भी अयोग्य माने गए छात्र अदालत जाने की तैयारी में हैं। इस मामले में पीएससी से जुड़े अधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास किया गया, मगर सफलता नहीं मिली।

भ्रष्टाचार पर प्रतिवेदन

जानकारी के मुताबिक भ्रष्टाचार पर प्राप्त शिकायतों का प्रतिवेदन स्वास्थ्य सचिव को प्रेषित किया जाना था। इसमें अपना नाम, रोल नंबर, कोई धार्मिक चिन्ह, कोई पहचान का उपयोग नहीं किया जाना था। उत्तर लिखने के दौरान छात्रों ने यह गलती कर दी। किसी ने छद्म नाम का तो किसी ने पद नाम का उल्लेख भ्रष्टाचार के प्रतिवेदन पर कर दिया।

■ 13 छात्रों का रोल नंबर सार्वजनिक, मामले में कोर्ट जाने की तैयारी

शासन के सीईओ का उल्लेख: इस सवाल मे प्रतिवेदन स्वास्थ्य सचिव को प्रस्तुत करना था। एक छात्र ने राज्य शासन को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया तो एक ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को अपना पत्र प्रतिवेदन लिख दिया। सूत्रों का कहना है कि इस मामले में गलती स्पष्ट होने के बाद भी अधिकारियों ने उन्हें बकायदा पांच मे ढाई नंबर दे दिया।

पूर्व की नियुक्तियां विवाद में

पीएससी पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। पीएससी के अफसरों और नौकरशाहों के बेटे बेटियों की थोक में नियुक्ति का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। कुछ मामले बड़े संगीन हैं। एक ही परिवार के कई कई सदस्यों का चयन पीएससी में हो गया है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान उनकी नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। ऐसे में नए मामले ने पीएससी पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं।

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,

नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

दूरभाष 0771–2331524, फैक्स–0771– 2440556 वेबसाईट : www.psc.cg.gov.in

क्रमांक 216/01/2023/प.गो रायपुर, दिनांक 22/09/2023

//सूचना//

राज्य सेवा परीक्षा–2022 के विज्ञापन की कंडिका 11(ix) एवं प्रश्न सह उत्तरपुस्तिका में उल्लेखित निर्देश की कंडिका–04 में दर्शित है कि "प्रश्न–सह–उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं पर भी अपना नाम, अनुक्रमांक, कोई धार्मिक चिन्ह, कोई पहचान चिन्ह या उत्तर के अतिरिक्त अन्य कोई अक्षर, शब्द, वाक्य या कोई धार्मिक शब्द/वाक्य नहीं लिखा जाना चाहिए। उत्तर पुस्तिका में नीले व काले बॉल पॉइण्ट पेन के अतिरिक्त अन्य किसी भी रंग अथवा किसी प्रकार के पेन जैसे स्केच पेन, हाइलाइटर, ग्लीटर पेन ___ इत्यादि का प्रयोग न करें। ऐसा करने पर जाँचकर्ता द्वारा संबंधित अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किए जाने की अनुशंसा की जा सकती है। उक्त संदर्भ में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।" उक्त के अनुसार राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा–2022 में सम्मिलित 13 अभ्यर्थियों को अनर्ह घोषित करते हुए परीक्षा परिणाम प्रक्रिया से पृथक किया गया, अनर्ह घोषित किए गए अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक निम्नानुसार है :–

2228102372	2228131803	2228134475	2228137426	2228139015
2228139086	2228141897	2228158932	2228174508	2228241318
2228255686	2228256094	2228269402	X	X

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,

नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

H-2.5

(ख) भ्रष्टाचार के सन्दर्भ में प्राप्त शिकायती पत्र का प्रतिवेदन स्वास्थ्य विभाग के सचिव को प्रेषित कीजिए। [5]

(अभ्यर्थियों को उत्तर में अपना नाम, अनुक्रमांक, पता और शहर का नाम आदि लिखना मना है।)

E & D-2.5

उत्तर

प्रतिवेदन

विषय:- स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार शिकायती संबंधी प्रतिवेदन बाबत्

महोदय,

मुझे स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत, एल० ग्रेड -02 कर्मचारी श्री राधेश्याम के विरुद्ध भ्रष्टाचार की संलिप्तता के प्रतिवेदन का आदेश जारी हुआ था। अन्वेषण के बाद निम्न तथ्य उजागर हुए.

(1) शिकायतकर्ता की पहचान संदिग्ध है तथा उनका पता छद्म है।

(2) शिकायती पत्र में किसी निर्णायक साक्ष्य का अभाव है।

अतः प्रारंभिक रूप से यह मान हनन का मामला है।

जाँचकर्ता

प्रति

सचिव, स्वास्थ्य विभाग

रमेश मोहन

(ख) भ्रष्टाचार के सन्दर्भ में प्राप्त शिकायती पत्र का प्रतिवेदन स्वास्थ्य विभाग के सचिव को प्रेषित कीजिए। [5]

(अभ्यर्थियों को ज्ञापन में अपना नाम, अनुक्रमांक, पता और शहर का नाम आदि लिखना मना है।)

E & D - 2

उत्तर प्रति,

मुख्यकार्यपालन अधिकारी,

जनपद पंचायत, मुंगेली [छ.ग.]

विषय- मनरेगा के मस्टर रोल मे भ्रष्टाचार हेतु शिकायत।

महोदय,

निवेदन है कि ग्राम भटगांव में गत माह तालाब उत्खनन के कार्य मे मजदूरो के उचित पारिश्रमिक वेतन जारी करने हेतु ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक श्री क ख ग के द्वारा पंचायत पदाधिकारियों व मजदूरों से [मस्टर रोल हेतु] अनुचित पारितोषण की मांग की गई है। आपसे निवेदन है कि उक्त संदर्भ मे त्वरित कार्यवाही करें।

दिनांक – 12/05/22

प्रार्थी
श्री त थ द नवद
सरपंच भटगांव

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 214] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 19 मार्च 2021—फाल्गुन 28, शक 1942

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग
भगत सिंह चौक, शंकर नगर रोड, रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 19 मार्च 2021

अधिसूचना

क्रमांक 2268/पेड/2014/सू.प्रौ.. – छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग एतद द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग प्रक्रिया नियम–2014 में निम्नानुसार संशोधन करता है, अर्थात :–

संशोधन

उक्त नियमों में –

1. नियम 17.6 के वर्तमान प्रावधानों को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर निम्नानुसार नवीन प्रावधान प्रतिस्थापित किया जाए।

17.6. आयोग द्वारा लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा व साक्षात्कार तथा अंतिम चयन हेतु अभ्यर्थियों के चिन्हांकन की प्रक्रिया निम्नानुसार की जाएगी–

17.6.1. अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत समेकित मेरिट सूची से बढ़ते मेरिट क्रम में चिन्हांकन निम्नानुसार दर्शित क्रम में किए जाएंगे–

17.6.1.1. सर्वप्रथम अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत वांछित कुल महिला अभ्यर्थियों (UR_F) के चिन्हांकन की प्रक्रिया की जाएगी।

17.6.1.2. अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत वांछित संख्या में महिला अभ्यर्थी न मिलने के दशा में शेष चिन्हांकन अनारक्षित मुक्त वर्ग (UR_O) से किए जाएंगे।

17.6.1.3. अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत वांछित कुल अभ्यर्थियों की संख्या में से अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत प्राप्त वांछित से कम अथवा वांछित महिला अभ्यर्थियों, वांछित दिव्यांग (UR_PH) अभ्यर्थियों व वांछित भूतपूर्व सैनिक (UR_EXS) अभ्यर्थियों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का अनारक्षित खुले वर्ग के अंतर्गत चिन्हांकन किया जाएगा।

2. नियम 18 में जहां कहीं भी शब्द "25 प्रतिशत" हो, को शब्द "50 प्रतिशत" से विस्थापित किया जाय।

3. नियम 56.13 के वर्तमान प्रावधानों को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर निम्नानुसार नवीन प्रावधान प्रतिस्थापित किया जाए।

" 56.13 यदि ऑनलाइन आपत्ति के पश्चात किसी प्रश्न पत्र में 20 प्रतिशत से अधिक प्रश्नों को विलोपित करने की आवश्यकता होती है, तो आयोग परीक्षा निरस्त कर, परीक्षा के पुनः आयोजन के संबंध में निर्णय ले सकेगा। बहुविकल्पीय परीक्षा में दावा आपत्ति का निराकरण विशेषज्ञों द्वारा कराये जाने के पश्चात् परीक्षा परिणाम जारी किये जायेंगे। "

हस्ता./-

(जीवन किशोर ध्रुव)
सचिव.

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

निविदा विज्ञप्ति क्रमांक–01

रायपुर, दिनांक 5 JUN 2023

संक्षिप्त निविदा सूचना

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर द्वारा पुराने अनुपयोगी प्रश्न पत्र, ओ.एम.आर. उत्तरशीट, कोरी उत्तरपुस्तिका, अन्य प्रपत्र एवं खाली कार्टून एवं लिफाफा इत्यादि को कतरन कर विक्रय करने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र छ0ग0 लोक सेवा आयोग, सेक्टर 19 नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर, स्थित कार्यालय (परीक्षा शाखा) से कोरे कागज में आवेदन देकर तथा रूपये 500/– (पांच सौ रू.) मात्र नगद जमा करके दिनांक 05.06.2023 से 25.06.2023 तक कार्यालय दिवस में कार्यालयीन समय में सुबह 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक में प्राप्त की जा सकती है। निर्धारित प्रपत्र में समस्त प्रविष्टियां अंकित कर निविदाएं छ.ग. लोक सेवा आयोग कार्यालय में अंतिम तिथि 26.06.2023 को अपरान्ह 03.00 बजे तक जमा की जा सकेगी। भूल प्रति में भरी गई निविदाएं ही मान्य होगी। निविदा प्रपत्रों की छायाप्रतियां स्वीकार नहीं की जाएगी। निविदाएं दिनांक 26.06.2023 को अपरान्ह 04.00 बजे उपस्थित निविदाकारों के समक्ष खोली जायेगी।

निविदा में विक्रय किए जाने वाले प्रपत्रों की सूची तथा शर्तें आयोग कार्यालय के नोटिस बोर्ड में चस्पा की गई है, जिन्हें कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है।

अवर सचिव
छ0ग0 लोक सेवा आयोग,
रायपुर

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, अटल नगर, नवा रायपुर (छ0ग0)
दूरभाष (का.) 0771-2430504, फैक्स- 0771-2331625, 2440550 वेबसाईट:- www.psc.cg.gov.in

क्रमांक/258/80/परीक्षा/2020

रायपुर, दिनांक 13 JUN 2023

//सूचना//

आयोग द्वारा जारी निविदा विज्ञप्ति क्रमांक 01 रायपुर दिनांक 05.06.2023 जारी कर पुराने अनुपयोगी प्रश्न पत्र, ओ.एम.आर. उत्तरशीट, कोरी उत्तरपुस्तिका, अन्य प्रपत्र एवं खाली कार्टून एवं लिफाफा इत्यादि को कतरन कर विक्रय करने हेतु निविदा आमंत्रित की गई है। उक्त के संबंध में सोशल मीडिया में भ्रामक एवं तथ्यहीन जानकारियां फैलाई जा रही है एवं तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। **उक्त संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि उन्हीं दस्तावेजों के विनिष्टीकरण की कार्यवाही की जा रही है, जिसकी निर्धारित समयावधि पूर्ण हो चुकी है।**

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग
नवा रायपुर, अटल नगर
(छ0ग0)

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

निविदा विज्ञप्ति क्रमांक-02

रायपुर, दिनांक 27 JUN 2023

संक्षिप्त निविदा सूचना

आयोग द्वारा पुराने अनुपयोगी प्रश्न पत्र, ओ.एम.आर. उत्तरशीट, कोरी उत्तरपुस्तिका, अन्य प्रपत्र एवं खाली कार्टून एवं लिफाफा इत्यादि विक्रय किये जाने हेतु संक्षिप्त निविदा सूचना निविदा विज्ञप्ति क्रमांक 01 दिनांक 05.06.2023 को जारी की गई थी, जिसके तहत विक्रय हेतु निविदा दिनांक 05.06.2023 से 26.06.2023 अपरान्ह 03.00 बजे तक निविदाकारों से निविदा आमंत्रित की गई थी, पर्याप्त संख्या में निविदा प्रपत्र प्राप्त न होने के कारण पुनः उक्त निविदा की तिथि निम्नानुसार बढ़ायी जाती है।

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर द्वारा पुराने अनुपयोगी प्रश्न पत्र, **ओ.एम.आर. उत्तरशीट, कोरी उत्तरपुस्तिका, अन्य प्रपत्र एवं खाली कार्टून एवं लिफाफा इत्यादि** को कतरन कर विक्रय करने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र छ0ग0 लोक सेवा आयोग, सेक्टर 19 नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर, स्थित कार्यालय (परीक्षा शाखा) से **रूपये 500/- (पांच सौ रू.)** मात्र नगद जमा करके **दिनांक 27.06.2023 से 09.07.2023 तक कार्यालय दिवस में कार्यालयीन समय में सुबह 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक तथा दिनांक 10.07.2023 को सुबह 10:00 बजे से अपरान्ह 03:00 बजे तक** प्राप्त एवं जमा की जा सकती है। निविदा **दिनांक 10.07.2023 को अपरान्ह 04.00 बजे** उपस्थित निविदाकारों के समक्ष खोली जायेगी।

निविदा में विक्रय किए जाने वाले प्रपत्रों की सूची तथा शर्तें आयोग कार्यालय के नोटिस बोर्ड में चस्पा की गई है, जिन्हें कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है।

अवर सचिव
छ0ग0 लोक सेवा आयोग,
रायपुर

दिनांक 13/09/2023

प्रति,

माननीय राज्यपाल महोदय,
छत्तीसगढ़

माननीय मुख्यमंत्री महोदय,
छत्तीसगढ़ शासन

विषय : छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा 2022 की प्रावीण्य सूची को स्थगित कर , मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनः मूल्यांकन कर नवीन प्रावीण्य सूची जारी करने हेतु।

महोदय,

छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा 2022 की उत्तर पुस्तिकाओं मे व्यापक स्तर पर विसंगतियां देखने को मिली है ; विसंगतियों के विषय मे दस्तावेज सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है जिनका तथ्यात्मक विश्लेषण कर निम्नलिखित तथ्य उपलब्ध है -

1. महोदय, बहुत से अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा मे गलत उत्तर के पूरे नंबर दिए गए है जबकि सही उत्तर लिखने वाले अभ्यर्थियो को कम नंबर दिया गया है। उदाहरण के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रश्न में एक ही उत्तर के लिए किसी अभ्यर्थी को पूरे अंक ,वही दूसरे अभ्यर्थी को आधे अंक दिए गए है जबकि दोनो के स्पेलिंग और उत्तर समान है।

2.गणित के प्रश्न के हल मे गलत हल में पूरा अंक दिया गया है जबकि सही हल पर अभ्यर्थी को कम अंक दिए गए है।

3. अंग्रेजी पर लिखे गए गलत उत्तर पर भी अंक दिए गए है जबकि हिंदी के सही उत्तर पर भी कम अंक दिया गया है। इस प्रकार से मूल्यांकन कर्ताओ द्वारा भाषा के आधार पर भेदभाव किया गया है।

4. निबंध के पेपर मे विषय के बाहर उत्तर लिखने पर अभ्यर्थियों को अधिक अंक वही जिस अभ्यर्थी ने पूरे विषय के अधीन रहकर उत्तर लिखा है उन्हे कम उत्तर दिया गया है।

5. कई अभ्यर्थियो के प्रश्नो का मूल्यांकन ही नही किया गया है ।

समस्त विषयो को गंभीरता से अध्ययन करके हम अभ्यर्थी इस नतीजे पर पहुचे है कि छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा 2022 मे बड़ी मात्रा मे गड़बड़िया हुई है, जिसमे एक समूह विशेष को लाभ देने का प्रयास स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है।

महोदय, चूंकि सभी प्रामाणिक दस्तावेज सार्वजनिक उपलब्ध है, अतः आपसे निवेदन है कि तत्काल, छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा 2022 की प्रावीण्य सूची को स्थगित कर मुख्य परीक्षा के उत्तर पुस्तिकाओं का पुनः मूल्यांकन कर नवीन प्रावीण्य सूची जारी करने का निर्देश देने की महती कृपा करेंगे, इसके अतिरिक्त महोदय सिविल सेवा परीक्षा 2021 के प्रावीण्य सूची मे भी बड़ी मात्रा मे गड़बड़ी हुए है उसे भी निरस्त कर मुख्य परीक्षा के उत्तर पुस्तिका की पुनः जाच कर नवीन प्रावीण्य सूची जारी करने का उचित निर्देश देने की कृपा करेंगे।

हमारे द्वारा छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग को व्यापक सुधार के संबंध मे कई सुझाव दिए है परन्तु उस पर आज दिनांक तक कोई कार्यवाही आयोग द्वारा नही की गई है, अतः आयोग मे व्यापक सुधार के लिए एक सुधार आयोग के गठन का निर्देश देने का कष्ट करेंगे।

मुख्यमंत्री निवास कार्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़
13/09/23

अंत में महोदय हम सभी अभ्यर्थीगण अपने साथ सभी प्रामाणिक दस्तावेजों के साथ आपसे मुलाकात कर अपनी पीड़ा से आपको अवगत करवाना चाहते है। कृपया मुलाकात हेतु समय देने की कृपा करेंगे।

धन्यवाद

समस्त अभ्यर्थीगण
छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग